(ख) यदि हां, तो क्या इन दवाओं, रसों तथा जानकारी की प्रमाणिकता की जांच की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी जांच कब तक किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्ड) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) परिषद के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही आदिवासी अनुसंधान यूनिटें देशी औषधियों और व्यवसाय के बारे में आनुषंगिक सूचना एकत्र कर रही हैं । बिहार के नवादा जिले के आदिवासियों ने जिस "वन्ध्याबरी" औषधि के गर्भ निरोधक होने का दावा किया है, उसका केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने परीक्षण के लिये अध्ययन शुरू किया है ।

लोदी रोड काम्पलैक्स में बाल उद्यान की भूमि पर पब्लिक स्कूल

2928. **श्री रशीद मसूद** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन शिक्षा विभाग ने लोदी रोड काम्पलैक्स, नई दिल्ली में बाल उद्यान की भूमि पर एक पब्लिक स्कूल चलाने की अनुमति दे दी है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि इस स्कूल के खोले जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने सरकार से सम्पर्क किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और इस स्थान पर एक स्कूल चलने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2929. **श्री रशीद मसूद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैल्थ फार आल इन 2001 ए डी के अनुसरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इसमें से कितने केन्द्रों के पास भवन तथा आवश्यक स्टाफ का अभाव है; और

(ग) क्या सरकार ने इन केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई ठोस समयबद्ध योजना तैयार की है और यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) देश में कुल 14,145 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काय कर रहे हैं । इनमें से 9046 सरकारी भवनों में हैं और 463 भवन निर्माणाधीन हैं । शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराए के भवनों या दान दिए भवनों या औषधालयों के पुराने भवनों आदि में कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा अधिकारियों के 3027 पद, फार्मेसिस्टों, के 2235 पद और प्रयोगशाला तकनीशियनों के 1194 पद जो कि बहुत ही आवश्यक हैं, खाली पड़े हैं ।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है जिसके लिए योजना गत धन आबंटित किया जाता है । राज्यों

से आशा की जाती है कि वे चरणबद्ध ढंग से 1990 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कुल आवश्यकता के शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ।

अस्पताल के स्टाफ को विशेष भत्ते/सुविधाएं

2930. **श्री रामसिंह भाई पातलोया-भाई राठवा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों में नर्सों, डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों को अर्हता भत्ता, विशेष वेतन, अतिरिक्त भत्ता और अन्य सुविधाएं देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसे किस तारीख से लागू किया गया है या लागू किया जाएगा और उसे किस अवधि से लागू माना जाएगा ; और

(घ) इस निर्णय को लागू करने में सरकार को प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों आदि में कार्य कर रहे नर्सिंग कार्मिकों को 1-10-1986 से भत्तों में प्रतिमाह 300/- रुपये की वृद्धि की गई है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

(i) धुलाई भत्ता 25/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 75/- रु० प्रति माह कर दिया गया है ।

(ii) वर्दी भत्ता 300/-रुपये से बढ़ाकर 1500/- रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया ।

(iii) नर्सों के कार्य को ध्यान में रखते हुये उन्हें 150/- रुपये प्रति माह की दर से एक नया भत्ता अर्थात् नर्सिंग भत्ता दिया गया है ।

(iv) अनुमोदित अर्हताओं के लिए नर्सों को दो वेतनवृद्धियां (नान एबेल-एबल) देने की बात सिद्धान्ततः मान ली गई है । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से इसकी माडेलिटीज तैयार की जा रही है ।

(v) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसरण में कुछक विशेष क्षेत्रों में कार्य कर रही नर्सों के विशेष वेतन दर को दोगुना करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उन क्षेत्रों का जहां यह लाभ दिया जा सकता है, पता लगाने के लिए गठित की गई समिति की रिपोर्ट पर अलग से विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और अन्य सेवाओं के डाक्टरों को हाल ही में किए गए भत्तों के पेकेज में प्रैक्टिस बंदी भत्ता 150/- रुपये से बढ़ाकर 600/- रुपये और 600/- रुपये से बढ़ाकर 900/- रुपये कर दिया गया है । वाहन भत्ते की दर में वृद्धि की गई है और यह विशेषज्ञों तथा अस्पतालों में सामान्य ड्यूटी अधिकारियों को भी दिया गया है । विशेषज्ञों के लिए व्यावसायिक कार्यों के संबंध में 3,000 रुपये प्रतिवर्ष का एक वार्षिक भत्ता भी स्वीकार किया गया है । सामान्य ड्यूटी आधिकारियों के लिए यह भत्ता 1200/- रुपये प्रतिमाह होगा ।

Implementation of the recommendation of medical education review committee

2931. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Medical Education Review Committee's recommendations